

कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर

Phone No. & Fax No.-0771-2444030

Email ID- der.raipur@gmail.com

// आदेश //

क्र./1718/आयु./स्था./न.क्र.162/2024

रायपुर, दिनांक 11.09.2024

कलेक्टर, धमतरी के पत्र क्रमांक 7234/वित्त लि.1/2024/धमतरी, दिनांक 06.09.2024 द्वारा श्री अनुज पटेल, तहसीलदार, बेलरगांव आदतन विना अनुमति/स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने शासकीय कार्य में रुचि नहीं लेने, कार्य प्रगति अत्यंत न्यून होने इत्यादि कारणों से अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित है।

कलेक्टर, धमतरी के द्वारा प्रस्तावित अनुसार श्री अनुज पटेल, तहसीलदार, बेलरगांव, जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) क के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया जाता है।

श्री अनुज पटेल, तहसीलदार, बेलरगांव को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

पृ.क्र./1718/आयु./स्था./न.क्र.162/2024
प्रतिलिपि :-

आयुक्त
रायपुर संभाग, रायपुर
रायपुर, दिनांक 11.09.2024

6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
7. कलेक्टर, धमतरी को उनके पत्र क्रमांक 7234/वित्त लि.1/2024/धमतरी, दिनांक 06.09.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ। तहसीलदार बेलरगांव का प्रभार नियमानुसार किसी अन्य राजस्व अधिकारी को सौंपें। श्री अनुज पटेल के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोपो का विवरण, गवाहों की सूची, दस्तावेजों की सूची तैयार कर 07 दिवस के अंदर आरोप पत्र अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजें, तथा श्री पटेल को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नियमानुसार करें।
8. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नगरी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
10. श्री अनुज पटेल, तहसीलदार, बेलरगांव को कलेक्टर धमतरी के माध्यम से सूचनार्थ।

आयुक्त
रायपुर संभाग, रायपुर